



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: PLEX/Cir/822

दिनांक: 28.01.2026

को,
प्लेक्सकॉन्सिल/ सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) – सदस्य देशों के लिए मुख्य निष्कर्ष (प्लास्टिक क्षेत्र)

हमें आपको यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार और यूरोपीय संघ ने भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) पर बातचीत पूरी कर ली है, जो 24 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के संयुक्त आकार वाले दो बड़े बाजारों के बीच गहन आर्थिक एकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।

यह मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) भारतीय निर्यातकों, जिनमें लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भी शामिल हैं, के लिए अभूतपूर्व बाजार पहुंच, व्यावसायिक निश्चितता और दीर्घकालिक विकास के अवसर प्रदान करता है।

सदस्यों के लिए मुख्य बिंदु:

- यह मुक्त व्यापार समझौता यूरोपीय संघ में 97% टैरिफ लाइनों के लिए तरजीही बाजार पहुंच प्रदान करता है, जो मूल्य के हिसाब से भारत के निर्यात के 99.5% को कवर करता है।
- समझौते के लागू होने की तारीख से उत्पादों के एक महत्वपूर्ण हिस्से को शून्य शुल्क पर बाजार में प्रवेश मिलेगा।

- यूरोपीय संघ प्लास्टिक क्षेत्र के लिए एक प्रमुख अवसर बाजार है, जहां प्लास्टिक और रबर का आयात 317.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जबकि यूरोपीय संघ को भारत का निर्यात अपेक्षाकृत कम है।
- वरीयतापूर्ण टैरिफ़ पहुंच से भारतीय प्लास्टिक उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने की उम्मीद है, जिससे विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यम निर्यातकों को लाभ होगा।
- यह समझौता सरलीकृत प्रक्रियाओं का प्रावधान करता है, जिसमें उत्पत्ति विवरण के माध्यम से उत्पत्ति का स्व-प्रमाणीकरण और तकनीकी मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन पर बेहतर सहयोग शामिल है, जिससे सुगम बाजार पहुंच को बढ़ावा मिलता है।

यह मुक्त व्यापार समझौता कानूनी जांच-पड़ताल, औपचारिक हस्ताक्षर और भारत, यूरोपीय संघ तथा यूरोपीय संघ के सदस्य देशों द्वारा पुष्टि के बाद लागू होगा। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ और महीने लग सकते हैं।

सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे क्षेत्रवार प्रावधानों और उत्पाद-स्तरीय विवरणों के लिए **विस्तृत फैक्टशीट** (<https://www.commerce.gov.in/wp-content/uploads/2026/01/Factsheet-on-India-EU-trade-deal-27.1.2026.pdf>) देखें और अपने व्यवसायों से संबंधित अवसरों का आकलन करें।

वाणिज्य विभाग से प्राप्त होने पर प्लेक्सकॉन्सिल द्वारा आगे की सभी जानकारियाँ दी जाएंगी। यह आपकी जानकारी के लिए है।

सम्मान
प्लेक्सकॉन्सिल टीम